



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-  
मिनिरल्स कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 012  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**  
Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**  
PHONES: ( 01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsfsrc@gmail.com](mailto:directorcsfsrc@gmail.com)

क्रमांक: सर./जन./कैन्टीन/2020-21/-

दिनांक: 07 मार्च, 2020

## निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए सरदारगढ़ फार्म पर चाय की कैन्टीन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जो कि दिनांक 29.03.2020 दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदा दिनांक 29.03.2020 दोपहर 02:00 बजे खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है।

प्रभारी निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-  
मिनिरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़  
जिला – श्रीगंगानगर (राज।)

फैक्स- 01509- 238027

फोन - 01509-238296



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)

Central State Farm, Sardargarh

District- Sriganganagar

PHONES : 01509- 238296 (Office) Tele-Fax: - 01509- 238027

e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com)

## केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ में चाय की कैन्टीन के लिये नियम व शर्तें

1. ठेका एक साल की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक के लिए दिया जायेगा, जिसे संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर आपसी सहमति से एक (01) वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। ठेका अवधि समाप्त होने पर अनुबन्ध निरस्त समझा जायेगा तथा ठेकेदार को कैन्टीन तुरन्त खाली करनी होगी।
2. ठेकेदार को कैन्टीन के किराये का भुगतान नहीं करना होगा अर्थात् कैन्टीन निःशुल्क रहेगी। ठेकेदार को मात्र बिजली उपभोग का खर्चा वहन करना होगा।
3. पार्टी को निविदा के साथ पेन कार्ड व आधार कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति एवं स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो जमा करवानी होगी।
4. कैन्टीन पर पार्टी का कोई कब्जा या अधिकार नहीं होगा तथा फार्म चाहे तो 15 दिन का नोटिस देकर पार्टी को कैन्टीन से हटा सकता है, जिसके लिए दुकान धारक कोई दावा नहीं कर सकता है।
5. कैन्टीन में रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्टी की होगी और फार्म किसी तरह की चोरी व अन्य नुकसान इत्यादि का जिम्मेदार नहीं होगा।
6. ठेकेदार कैन्टीन में न तो नशीली वस्तु रखेगा तथा न ही बेचेगा और न ही नशीली वस्तु का सेवन करेगा।
7. दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि चाय, कॉफी एवं अन्य खाद्य सामग्री जो भी दुकान में रखी जायेगी, वह उत्तम दर्जे की हो। दुकानदार दुकान के अंदर एवं दुकान के आस-पास के स्थान को साफ-सुथरा रखेगा।
8. कैन्टीन खुलने का समय सुबह 7:00 बजे से सायं 09:30 बजे तक होगा।
9. कैन्टीन धारक को निविदा के साथ अमानत राशि का डी.डी. रूपये 5000/- (रु पाँच हजार मात्र) तथा बेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क स्वरूप रु. 100/- + 18% GST=रु.118/- का डिमाण्ड ड्रॉपट(DD) जो National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh के नाम जारी, payable at Suratgarh हो लगाना आवश्यक है। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा उसे ठेका अवधि के संतोषप्रद समाप्ति उपरांत पार्टी के अनुरोध पर वापस किया जायेगा। अमानत राशि के बगैर प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. ठेका की न्यूनतम दर देने वाली पार्टी को एल-1 मानते हुए ठेका आवंटित किया जायेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि उनके लिखित अनुरोध पर एक निश्चित अवधि के अंदर चेक/RTGS द्वारा वापस की जायेगी। न्यूनतम दर के आधार पर एल-1 पार्टी द्वारा किसी भी कारण से निविदा से नाम वापस लिये जाने की अवस्था में अमानत राशि वापस नहीं की जायेगी।
11. अन्य कार्य हेतु पूर्व में जमा करायी गयी अमानत राशि (यदि कोई हो तो) इस निविदा के लिये मान्य नहीं होगा।
12. कैन्टीन धारक फार्म के किसी भी कर्मचारी से किसी तरह का झगड़ा या अमर्द व्यवहार नहीं करेगा और ऐसा पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
13. कैन्टीन धारक के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर उसका ठेका/अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है तथा कैन्टीन में रखा सामान तुरन्त प्रभाव से उसी दिन हटाना होगा ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिदिन 100/- रुपये अतिरिक्त रखरखाव शुल्क देना होगा तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
14. कैन्टीन धारक को फार्म की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी जायेगी।
15. निविदादाता को रखरखाव /मरम्मत भुल्क हेतु राशि वित्तीय निविदा में कोट करनी होगी। बिजली का खर्च (मासिक) fixed Rs375/- (70 Unit तक) + उत्तरोत्तर रु5.85/- प्रति यूनिट (अतिरिक्त) अदा करनी होगी। यदि बिजली की दर बढ़ती है तो ठेकेदार को उसी दर से भुगतान करना होगा।
16. कैन्टीन धारक विद्युत संचालित उपकरण जैसे हीटर, impersion rod/ ovan का इस्तेमाल नहीं करेगा।
17. खाद्य सामग्री का उपभोग करने वाले कर्मियों की न्यूनतम संख्या को कोई भी गारंटी फार्म प्रबंधन की नहीं होगी।
18. कैन्टीन में रखी सामग्री के लिये उपभोगकर्ता से सूचित राशि लेने की संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
19. कैन्टीन धारक चाय एवं कॉफी के लिये वित्तीय बीड में अंकित दर पर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा इससे संबंधित संपूर्ण व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
20. जरूरत अनुसार आबंटित ठेका बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा।
21. ठेका आवंटन उपरांत ठेकेदार को 100 रुपये के स्टॉप पेपर पर निगम के साथ करार करना होगा। स्टॉप पेपर का खर्च ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
22. एक वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर फार्म प्रबंधन दुकानदार के अनुरोध पर दरों में वृद्धि संबंधी अनुरोध पर विचार कर सकती है। इस संबंध में फार्म प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। दर बढ़ाना दुकानदार का अधिकार नहीं होगा।
23. उपरोक्त की अनुपालना न करने पर ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्द करते हुये प्रबंधन जमा अमानत राशि को जब्त कर सकता है।
24. नियम एवं शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज (वित्तीय एवं तकनीकी) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अहस्ताक्षरित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
25. किसी प्रकार का विवाद आदि होने पर निदेशक महोदय(के.रा.फ., सरदारगढ़) का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा तथा न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ होगा।

“नियम व शर्तें मान्य हैं”

निविदादाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-  
मिनिरल कम्पनी)  
केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़  
जिला - श्रीगंगानगर (राज।)  
फैक्स- 01509- 238027  
फोन - 01509-238296



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX  
NEW DELHI-110 012 (INDIA)  
Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)

Central State Farm, Sardargarh  
District- Sriganganagar  
PHONES : 01509- 238296 (Office) Tele-Fax: - 01509- 238027  
e-mail - [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com)

## वित्तीय प्रपत्र

विषय: चाय की कैंटीन के कार्य हेतु निविदा।

सामग्री के रेट प्रति यूनिट/प्रति व्यक्ति के अनुसार निम्नलिखित तालिका में अंकित करें-

क्रमांक	एक यूनिट	दर
1	Simple साधारण चाय प्रति कप (कांच की छोटी ग्लास)	
2	Special स्पेशल चाय प्रति कप (कांच की छोटी ग्लास)	
3	कॉफी	

ठेकेदार का नाम .....

पिता का नाम .....

पेन संख्या .....

पूरा पता .....

फोन/मोबाईल नं. ....

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-  
मिनिरत्न कम्पनी)  
केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़  
जिला – श्रीगंगानगर (राज।)  
फैक्स- 01509- 238027  
फोन – 01509-238296



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX  
NEW DELHI-110 012 (INDIA)  
Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)

Central State Farm, Sardargarh  
District- Sriganganagar  
PHONES : 01509- 238296 (Office) Tele-Fax: - 01509- 238027  
e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com)

## तकनीकी प्रपत्र

1. धरोहर राशि एवं निविदा फॉर्म फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट।
2. पेन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।
3. आधार कार्ड, की स्व-सत्यापित प्रति।
4. स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो (2 फोटोग्राफ)।